पत्रांक 855 / एन. एस कैम्प/20
दिनांक 3-5-16

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग
संख्या– 574 /55–पर्या–2016–45 (रिट)/16
लखनऊ :दिनांक 3 अप्रैल मई 2016

कार्यालय ज्ञाप

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–एस0ओ0 2804(ई), दिनांक 03.11.2009 द्वारा ईटों के विनिर्माण के लिए उपरी मृदा के उत्खनन तथा निर्माण सामग्री के विनिर्माण में फ्लाई ऐश के उपयोग का संवर्धन करने तथा कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से 100 किमी0 के विनिर्दिष्ट अर्धव्यास के भीतर संनिर्माण कियाकलाप को निर्बन्धित करने के लिए निदेश जारी किये गये हैं। अधिसूचना के उपबन्धों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करने के प्रयोजन के लिए एक मॉनीटरिंग समिति के गठन का प्राविधान किया गया है।

2– भारत सरकार के उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 03.11.2009 में उल्लिखित उपबन्धों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग हेतु निम्नवत् राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाता है:–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ – अध्यक्ष
2– प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिनिधि – सदस्य
3– प्रमुख सचिव भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिनिधि– सदस्य
4– प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिनिधि – सदस्य
5– प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0शासन के प्रतिनिधि –सदस्य
6– सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ – सदस्य
7– निदेशक, पर्यावरण निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ – सदस्य–सचिव

3– उक्तानुसार गठित अनुश्रवण समिति राज्य स्तर पर, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 03.11.2009 की मॉनीटरिंग और सुकर बनाने के कार्यान्वयन (Monitoring and Facilitating Implementation) के अतिरिक्त अधिसूचना के प्रस्तर–1 के उप–प्रस्तर–4 में यथाविहित विवाद समझौता समिति द्वारा हल न किये गये किसी मुद्दें का निपटारा किया जायेगा और यह समिति विद्युत संयंत्र द्वारा यथा प्रमाणित तापीय विद्युत संयंत्र से पर्याप्त मात्रा में फ्लाई ऐश के उपलब्ध न होने की दशा में उप–प्रस्तर (1) के अधीन निश्चित की गई मात्रा को समुचित रूप से उपान्तरित (अधित्यक्त या शिथिल करने) के लिए भी सशक्त होगी।

4– समिति की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक होगी।

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव

संख्याः–1674 /पर्या/55–पर्या–2016–45 (रिट)/16 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त सम्बन्धित विभाग।
2– निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, लखनऊ।
3– सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4– वैज्ञानिक 'जी', पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5– निजी सचिव प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग उ0प्र0 शासन।
6– गार्ड फाईल।

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या– 1145/23–9–2016–30ए0सी0/2014

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
पर्यावरण/ऊर्जा/भूतत्व खनिकर्म/वन,
ग्रामीण अभियन्त्रण/ग्राम्य विकास/कृषि/श्रम,
सिंचाई/आवास/नगर विकास/गन्ना/समाज कल्याण,
सहकारिता/पंचायती राज/गृह/शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

लोक निर्माण अनुभाग–9

लखनऊ : दिनॉक 30 जून, 2016

विषयः–ओ0ए0 संख्या–102/2014, सैण्ड प्लास्ट इण्डिया प्रा0लि0 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन व फ्लाई ऐश के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–102/2014 सैण्ड प्लास्ट इण्डिया लि0 बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार व अन्य तथा उससे सम्बद्ध 02 अन्य वादों के संबंध में मा0 अधिकरण के आदेश एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग से संबंधित अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2016 में (प्रति संलग्न) थर्मल पावर प्लाण्ट से 300 कि0मी0 की त्रिज्या (Radius) में आने वाले क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों जैसे मनरेगा, पी0एम0जी0एस0वाई, अरबन, रूरल हाउसिंग, स्वच्छ भारत अभियान आदि में संचालित निर्माण कार्यों में फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का प्रयोग अनिवार्य (Mandatory) कर दिया गया है। सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 28.04.2016 (प्रति संलग्न) द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग के बारे में भी दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

2– अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग के संबंध में निर्गत अधिसूचना में निहित प्राविधानों के अनुसार प्रदेश में स्थापित समस्त थर्मल पावर प्लाण्टस् से 300 कि0मी0 की त्रिज्या (Radius) में आने वाले क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं में फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

क्रमशः....

3– अतः राजकीय योजनाओं, कार्यक्रमों से संबंधित समस्त प्रशासनिक विभाग अधिकृत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों को निर्माण कार्य उपयोग किये जाने हेतु अपनी नियमावलियों, उपविधियों/बिल्डिंग उपविधि भारत सरकार द्वारा इस संबंध में निर्गत अधिसूचना को संज्ञान में लेते आवश्यक संशोधन/परिवर्धन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चि करायी जाय।

4– कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या उपरोक्त तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2– प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आश से प्रेषित की कृपया उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार किये जाने हेतु समस्त कार्यदायी संस्थाओं को आवश्यक निर्देश निर्गत क हुए प्रभावी अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
3– निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4– प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
5– प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

पत्रांक......1548 कैम्प/20

दिनांक.....29-8-16.....

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–102/2014 सैण्ड प्लास्ट (इण्डिया) लि0 व अन्य बनाम् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार व अन्य के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 9–8–2016 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

उक्त बैठक में Flyash based bricks Manufacturers & Promoters Association के प्रत्यावेदन तथा दिनांक 13 अप्रैल, 2016 को प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया गया।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2016 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या के बारे में अद्यतन स्थिति से अवगत कराने को कहा गया। अधिकतर विभागों द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन वाद एवं दिनांक 13–4–2016 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त से अनभिज्ञता प्रकट की गयी। उपस्थित अधिकारियों को यह अवगत कराया गया कि प्रश्नगत वाद वर्ष 2014 का है, जिसमें समय–समय पर बैठकें भी आयोजित होती रहीं है एवं संबंधित विभागों द्वारा कार्यवाही करके मा0 एन0जी0टी0 को अवगत कराया जाना है। विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही न किये जाने पर असंतोष प्रकट किया गया। सभी विभागों को 03 दिन में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये

C-2

26.8.16
(एस0 सी0 यादव)
सदस्य सचिव

(कार्यवाही समस्त संबंधित विभाग)

कार्यवृत्त दिनांक 13–4–2016 के अनुपालन के क्रम में लोक निर्माण विभाग के उपस्थित अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रश्नगत वाद तथा उससे सम्बद्व अन्य वादों में मा0 अधिकरण के आदेश एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फलाईऐश के उपयोग से संबंधित अधिसूचना दिनांक 25–1–2016 में थर्मल पावर प्लान्ट से 300 कि0मी0 की त्रिज्या में आने वाले क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों में संचालित निर्माण कार्यो में फलाईऐश आधारित उत्पादों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यह त्रिज्या 100 कि0मी0 थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में प्राविधान के अनुरूप प्रदेश में स्थापित समस्त थर्मल पावर प्लान्ट से 300 कि0मी0 की त्रिज्या में आने वाले क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं में फलाईऐश आधारित उत्पादों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किये

जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिनांक 30 जून, 2016 द्वारा जारी कर दिये गये हैं। लोक निर्माण विभाग को उनके द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुपालन में की गयी समयबद्ध कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही लोक निर्माण विभाग)

बैठक में उपस्थित समस्त संबंधित विभागों से लोक निर्माण विभाग के आदेश दिनांक 30 जून, 2016 के क्रम में कृत कार्यवाही से पर्यावरण विभाग को अवगत कराने की अपेक्षा की गयी। अधिकतर विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने की सूचना दी गयी। यह निर्देश दिये गये कि जिन विभागों में वर्तमान में प्रोजेक्ट संचालित हैं, उनकी सूची पर्यावरण विभाग को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करा दी जाय :–

क्र0सं0	कार्यदायी संस्था / विभाग का नाम	कार्यो का विवरण	कार्यो हेतु कुल फलाईऐश की आवश्यकता	फलाईऐश के उपयोग से कितने प्रोजेक्ट में कार्य प्रारम्भ हुआ	निकटतम थर्मल पावर प्लान्ट का नाम / दूरी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

(कार्यवाही समस्त संबंधित विभाग)

विचार विमर्श के उपरान्त ऊर्जा विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि से यह कहा गया कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2016 के क्रम में 100 कि0मी0 के स्थान पर 300 कि0मी0 की त्रिज्या क्षेत्र को दर्शाते हुए मानचित्र पर्यावरण विभाग को उपलब्ध करायें तथा वेबसाईट में भी प्रदर्शित करायें जिससे कि संबंधित विभाग उसका उपयोग कर सके। सीमेन्ट उद्योग एवं ब्रिक्स निर्माण में किए गए उपयोग के बारे में स्टेट्स रिपोर्ट पर्यावरण विभाग को 03 दिन में उपलब्ध करा दें।

(कार्यवाही ऊर्जा विभाग)

बैठक में विचार–विमर्श में यह स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत वाद में संबंधित विभागों द्वारा कोई रूचि नहीं ली जा रही है, अतः यह निर्देश दिये गये कि समस्त संबंधित विभाग मा0 एन0जी0टी0 में अपना पक्ष स्वयं प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही समस्त संबंधित विभाग)

ऊर्जा विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा यह अवगत कराया गया कि ऊर्जा विभाग द्वारा फलाईऐश का उपयोग उनके विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों में अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्देश दिये गये कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25–1–2016 के क्रम में संबंधित फ्लाई ऐश उपयोगकर्ताओं को फ्लाई ऐश की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए।

(कार्यवाही ऊर्जा विभाग)

लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन 25–01–2016 एवं तत्संबंधी मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में समस्त सरकारी निर्माण कार्यों में फ्लाई ऐश के प्रयोग की अनिवार्यता सुनिश्चित करने हेतु, जिलाधिकारी को शासन स्तर से निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त करते हुए इस संबंध में शीघ्र आदेश जारी करने का आश्वासन दिया गया है।

(कार्यवाही पर्यावरण विभाग)

बैठक में विचार–विमर्श में अधिकतर विभागों द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेश एवं भारत सरकार के तत्संबंधी अधिसूचनाओं के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की गयी। इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि सभी संबंधित विभाग मा0 एन0जी0टी0 की वेबसाइट www.green tribunal.gov.in से मा0 एन0जी0टी0 के आदेश तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट www.moef.gov.in से अधिसूचनायें डाउनलोड करके अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

संजीव सरन
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग
संख्या– 2581 /55–पर्या–2016–45(रिट)/2016
लखनऊः दिनांक : 17 अगस्त, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त अधिकारीगण।
2– समस्त सम्बन्धित विभाग।
3– निदेशक पर्यावरण निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।
4– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
5– निजी सचिव मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6– निजी सचिव प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग उ0प्र0 शासन।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र) 17/8/16
अनु सचिव

4 वाई टेक के संबंध में प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 9-8-2016 को पूर्वाह्न 11-00 बजे आहूत

बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति

क्र०सं०	अधिकारी का नाम / पदनाम	मो० नम्बर	हस्ताक्षर
1	2	3	4
1.	Sushil Kumar Maurya Sp. Secretary Panchayati Raj	9415492375	[illegible]
2.	Heera Lal Spl. Sec.	9532998213	[illegible]
3.	शिशिर कुमार यादव Spl Sec.	9454413671	[illegible]
4.	रवीन्द्र सिंह गंगवार S.E. /RED	9412181300	[illegible]
5.	हलधर मिश्रा, उप सचिव, आवास	9454411687	[illegible]
6.	अमिताभ त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, वं सिंचाई	9454413815	[illegible]
7.	वी० के० सिंह अपर श्रमायुक्त	9415162234	[illegible]
8	B M Pandey US Labour	9454413364	[illegible]
9.	राजेन्द्र कुमार सिंह, Section officer Labour 2	9454413166	[illegible]
10.	Surya Narayan Singh, STA Directorate of Env.	9455855327	[illegible]
11.	[illegible]	9454411668	[illegible]
12.	[illegible]	9454412058	[illegible]
13.	Krishna Mohan, Town & Country Planning Deptt.		[illegible]
14.	[illegible], उ०प्र० आवास, [illegible] U.P. LKO	9897716216	[illegible]
15.	नीरजा कुशील, अनुसचिव समाजकल्याण विभाग	945441307	[illegible]
16.	महावीर प्रसाद [illegible], अनु सचिव, ऊर्जा विभाग	9454411788	[illegible]
17.	आफताब अहमद, अधीक्षण अभियन्ता	9454411729	[illegible]
18.	यू० एस० गुप्ता मुख्य अभियंता, उ०नि०लि०	9415900929	[illegible]
19.	[illegible] उपसचिव नियोजन	9412753125	[illegible]
20.	महेन्द्र राम, अधि० अभियंता, सिंचाई	9454413921	[illegible]
21.	[illegible] अधि० अभि० उ०प्र० [illegible]		[illegible]
22.	राजेन्द्र सिंह वर्मा, अधि० अभि० [illegible] लखनऊ	7839841451	[illegible]
23.	Anurag yadav, Dy Dir. Environment	05222300541	[illegible]
24.	Dr A A Khan		[illegible]

295

1	2	3	4
25-	अनिल कुमार बाजपेई	उप सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग	945544138
26-	सुधीर सिंह चौहान	संयुक्त सचिव नगर विकास	94544413
27.	अजित प्रताप सिंह अनु० सचिव	नगर विकास, अनु०-?	945544

6

विश्वनाथ सिन्हा
संयुक्त सचिव
Bishwanath Sinha
Joint Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Government of India
Ministry of Environment, Forests & Climate Change

D.O.No.11-67/2015-HSMD **July 19, 2016**

पत्रांक....1470.... / एम. एस कैम्प/2016

दिनांक....29.8.16............

Sir,

This is in reference to the consolidated order dated 4th July 2016 in OA No. 124/2014 in the matter of Ajay Dubey V. State of Chhattisgarh & Others pertaining to the utilization of fly ash. Copy of the order is attached at **Annexure-A.**

2. The Hon'ble NGT in the aforementioned order, in perusal of the Notification on fly ash as amended in 2016, has observed that the State Government shall prepare a report indicating the areas where such fly ash is being generated and also the areas where the same can be utilized within a period of one month.

3. Further the Hon'ble NGT has directed vide the aforesaid order that the Chief Secretary of the State shall be responsible for coordination and collection of the aforesaid information and submitting the same before the Hon'ble NGT.

4. It may be recalled that this Ministry vide D.O letter No. 9-8/2005-HSMD dated 28th April 2016 addressed to the Secretaries, Department of Environment of all States/Union Territories and also to the Chairman of all State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees highlighting the specific amendment to the notification on fly ash utilization and their implication and sought effective implementation of the amended rules in all the States and Union Territories. A copy of the aforesaid letter is also attached herewith as **Annexure B.**

5. In perusal of the aforementioned order dated 04/07/2016, it is requested to provide the required information to the Ministry / Regional Office of the Ministry as early as possible.

M.S.
23.8.16

C-2

26.8.16
(सदस्य सचिव)

1470/MS Camp/16
29.8.16

EE(R)
Forward

AER/SO/TC
कृपया पत्रावली में आवश्यक प्रस्तुत करें।
31/8/16

31/8/16

Yours sincerely,

(Bishwanath Sinha)

Shri Rajender Singh Chauhan
Chairman,
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
Lucknow,
Uttar Pradesh

प्रमुख सचिव नगर विकास PWD को पत्र प्रेषित कर MOEF को सूचित किया जाना है।
1/9/16

प्रकृतिः रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected

इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली-110 003, फोन : 011-24695274 फैक्स : 011-24695277
Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110 003
Tel. : 011-24695274, Fax : 011-24695277, E-mail : bnsinha@gov.in

पत्रांक 1566

दिनांक 1-9-16

कोर्ट केस समयबद्ध / महत्वपूर्ण

संख्या–1351 / 23–9–2016–30ए0सी0 / 2014

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव / सचिव
पर्यावरण / ऊर्जा / भूतत्व खनिकर्म / वन,
ग्रामीण अभियंत्रण / ग्राम्य विकास / कृषि / श्रम / सिंचाई,
आवास / नगर विकास / गन्ना / समाज कल्याण / सहकारिता,
पंचायती राज / गृह / शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

लोक निर्माण अनुभाग–9 लखनऊ : दिनॉक 24 अगस्त, 2016

विषयः–ओ0ए0 संख्या–102 / 2014 सैण्ड प्लास्ट(इण्डिया) प्रा0लि0 बनाम यूनियन आर्फ इण्डिया व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन व फ्लाई ऐश के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1145 / 23–9–2016–30एस0 सी0 / 2014 दिनांक 30.6.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ओ0ए0 संख्या–102 / 2014 सैण्ड प्लास्ट(इण्डिया) प्रा0लि0 बनाम यूनियन आर्फ इण्डिया व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन व फ्लाई ऐश के उपयोग के संबंध में राजकीय योजनाओं, कार्यक्रमों से संबंधित समस्त प्रशासकीय विभाग एवं अधिकृत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा फ्लाई ऐश आधारित उत्पादकों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किये जाने तथा फ्लाई ऐश आधारित उत्पादकों को निर्माण कार्यो में उपयोग किये जाने हेतु अपनी नियमावलियॉ, उपविधियों, बिल्डिंग, उपविधि में भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक संशोधन / परिवर्तन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फ्लाई ऐश के उपयोग के संबंध में शासनादेश दिनांक 30.6.2016 के अनुपालन में की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति / अनुपालन आख्या लोक निर्माण विभाग एवं पर्यावरण विभाग को 15 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

C-2

30-8-16
(एस0 सी0 ...)
सदस्य सचिव

Next
Sand Plast

भवदीय,

(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव

G.O.-(Gen.)-02-(R)446

संख्या उपरोक्त तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

2— प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि फ्लाई ऐश के उपयोग के संबंध में शासन द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 30.6.2016 की अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही की सूचना 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3— निदेशक पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

4. प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।

5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 लखनऊ

6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह)
विशेष सचिव।

1560

30-8-16

मा0 एन0जी0टी0 वाद / महत्वपूर्ण

संख्या–29 / 2016 / 2774 / 55–पर्या–2016–45(रिट) / 20

प्रेषक,

श्री संजीव सरन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 26 अगस्त, 2016

विषय :–पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से जनित होने वाली फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2016 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–102 / 2014 में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से जनित फ्लाई ऐश के 300 कि0मी0 की त्रिज्या में उपयोग हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 2016 को अधिसूचना जारी की गयी है। फ्लाई ऐश के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–102 / 2014 में पारित आदेश के अनुपालन में शासन स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है। तत्क्रम में दिनांक 09–08–2016 को प्रश्नगत प्रकरण की समीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया है कि जिला स्तर पर उक्त अधिसूचना के अनुपालन हेतु सम्बन्धित विभागों को आवश्यक निर्देश दिये जायें कि फ्लाई ऐश का प्रयोग जिला स्तर पर निर्माणाधीन / प्रस्तावित परियोजनाओं में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25–01–2016 के अनुसार किया जाय।

C-2

30.8.16
(एस0 सी0 यादव)
अपर सचिव

2– अतः कृपया भारत सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 25–01–2016 एवं मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–102 / 2014 सैण्ड प्लास्ट (इण्डिया) लि0 व अन्य बनाम् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार व अन्य में समय–समय पर जारी आदेशों के अनुपालन हेतु जिला स्तर पर सम्बन्धित विभागों को तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करके अनुपालन आख्या प्राप्त कर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को स्टेट्स रिपोर्ट उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, और मा0 अधिकरण द्वारा प्रकरण की नियमित रूप से समीक्षा / सुनवाई की जा रही है। अतः इस संबंध में शीघ्रता अपेक्षित है।

NGT
Sand Plast

भवदीय,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव।

31/8/16

क्रमशः–2–

(6)

संख्या–29/2016/2774 (1) /55–पर्या–2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।

3– निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, लखनऊ।

4– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

5– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

6– निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।

7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

5449/3
17/10/16

कार्यालय– जिलाधिकारी, गाजियाबाद

पत्रांक/ /शो0एंवमृ0सर्वे0/एन0जी0टी0–फ्लाईऐश/2016–17/दिनांक– 20-09-2016

1–समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद गाजियाबाद।
2–समस्त उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, गाजियाबाद।
3–जिला पंचायत राज अधिकारी, गाजियाबाद।
4–जिला उद्यान अधिकारी, गाजियाबाद।
5–जिला गन्ना अधिकारी, गाजियाबाद।
6–भूमि संरक्षण अधिकारी, गाजियाबाद।
7–जिला कृषि रक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।
... जिला कृषि अधिकारी, गाजियाबाद।

विषय–ओ0 ए0 सख्या–102/2014 सैण्ड प्लास्ट इण्डिया प्रा0लि0 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन व –फ्लाई ऐश के उपयोग के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक महोदय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक शो0 एंव मृ0सर्वे/459//एन0जी0टी0–फलाई ऐश/2016–17/लखनऊ दिनांक 26 जुलाई 2016 (छाया प्रति संलग्न) एंव शासन के पत्र संख्या 1814/12.02.16/दिनांक 15.07.16 के साथ संलग्न मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 1445/ 23.09.16–30 ए0सी0/2014 दिनांक 30.06.2016 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें।

उक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0एस0 संख्या –102/2014 सैण्ड प्लास्ट इंडिया लि0 बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार व अन्य तथा उससे सम्बद्ध 02 अन्य वादो के सम्बंध में मा0 अधिकरण के आदेश एंव पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मत्रालय भारत सरकार द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग से सम्बंधित अधिसूचना दिनांक 25.01.2016 (छाया प्रति संलग्न) थर्मल पॉवर प्लान्ट से 300 कि0मी0 की त्रिज्या (Radius) के आने वाले क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं एंव कार्यकमो जैसे मनरेगा, पी0एम0जी0एस0वाई0, अरबन रूरल हाउसिंग, स्वच्छ भारत अभियान आदि में संचालित निर्माण कार्यो में फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का प्रयोग अनिवार्य (Mandatory) कर दिया गया है। सचिव पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 28.04.16 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा फलाई ऐश के उपयोग के बारे में भी दिशा निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त सन्दर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है, कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग के सम्बंध में निर्गत अधिसूचना में निहित प्राविधानों के अनुसार प्रदेश में स्थापित समस्त थर्मल प्लान्टस से 300 कि0मी0 की त्रिज्या (Radius) के आने वाले क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यकमों /योजनाओं में फलाई ऐश आधारित उत्पादो का प्रयोग दिये गये निर्देशो के अनुसार अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरि।

C-2/NGT(1)

(निधि केसरवानी)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

पत्रांक/ 372 /शो0एंवमृ0सर्वे0/एन0जी0टी0–फ्लाईऐश/2016–17/दिनांक–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–उप कृषि निदेशक, गाजियाबाद।
2–संयुक्त कृषि निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ।
3–मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
4–कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
5–अनुसचिव, उ0प्र0 शासन कृषि अनुभाग–2 सचिवालय लखनऊ।
6–निदेशक पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7–सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड लखनऊ।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

पत्रांक.....1708...... दि० 21.10.16.....

एन0जी0टी0 / महत्वपूर्ण / गजट

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

(शोध एवं मृदा सर्वेक्षण अनुभाग)

कृषि भवन, लखनऊ।

पत्रांकः–शो0एवं मृ0सर्वे0 / /एन0जी0टी0–फलाई ऐश / 2016–17 / लखनऊः दिनांक– 21 अक्टूबर, 2016

1. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

विषय– ओ0ए0 सं0–124 / 2014 अजय दूबे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.2016 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2659 / 12–2–2016 / कृषि अनुभाग–2, लखनऊ दिनांक 07.10.2016 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में दिये गयें निर्देशानुसार कृत कार्यवाही से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 सं0 124 / 2014 अजय दूबे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2016 तथा विषय 4–9 तक के द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग को निम्नलिखित उद्योगों में उपयोग हेतु निर्देशित किया गया है यथा 1. सीमेन्ट वर्क्स 2. फ्लाई ऐश द्वारा निर्मित ईट तथा केविंग ब्लाक में 3. विनिर्माण क्षेत्र में, उक्त के साथ–साथ राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा कराये जा रहें विनिर्माण कार्य में अनिवार्य रूप से (Mandatory) प्रयोग करने हेतु आदेशित किया गया है।

अतः उक्त सन्दर्भ में आपकों निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2016 (छाया प्रति संलग्न) का अक्षरशः 300 किमी0 के Radius में आने वाले क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों / योजनाओं में फलाई ऐश आधारित उत्पादों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।

संलग्नकः–यथोपरि।

C-2/ NGT Cell

भवदीय,

(ज्ञान सिंह)
कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश।

21.10.16
(एस0 सी0 यादव)
सदस्य सचिव

पत्रांकः–शो0एवं मृ0सर्वे0 / 894 / एन0जी0टी0–फलाई ऐश / 2016–17 / लखनऊः दिनांक–उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कृषि अनुभाग–2, सचिवालय लखनऊ।
2. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश।

NGT Cell

C7:(DK)JDA-R&SS Ph. No. 0522-2207347(jdarssup@gmail.com)

महत्वपूर्ण / मा0 एन0जी0टी0 आदेश

संख्या–3110 / 55–पर्या–2016–45(रिट) / 16

प्रेषक,

श्री आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

पत्रांक....1847..../ एस. एस कैम्प/20
दिनाक....18-11-16.....

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 शासन।

पर्यावरण अनुभाग–2 लखनऊ:: दिनांक:: 10 नवम्बर, 2016

विषय– ओ0ए0– 102 / 2014 सैण्ड प्लास्ट इण्डिया प्रा0लि0 बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन व फ्लाई ऐश के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण अनुभाग–9 के पत्र संख्या–1656 / 23–9–2016–30ए0सी / 2014, दिनांक 21.09.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग है। अतः कृपया नोडल विभाग संबंधित समस्त विभागों से समन्वय स्थापित कर प्रकरण की स्टेटस रिपोर्ट पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन एवं निदेशक, पर्यावरण निदेशालय (सदस्य–सचिव, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति) को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि स्टेटस रिपोर्ट को समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सम्यक् विचारोपरान्त उसे मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष दाखिल किया जा सके।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

PRO
21/11/16

संख्या–3110 / 55–पर्या–2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक यथाशीघ्र कराने का कष्ट करें।
2– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3– उपनिदेशक, पर्यावरण निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।
4– श्री अभिषेक यादव, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
5– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन को अवगतार्थ प्रेषित।

आज्ञा से

(उमेश चन्द्र) 10/11/16
अनुसचिव।

(1)

5840/3
21/11/16

21-11-16

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता(जल संसाधन),
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

पत्रांक......1869..../ एस. एस कैम्प/20

सेवा में,

दिनांक....23-11-16........

सदस्य सचिव,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी012वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांकः 582/अनिमंप्र/अनिखं-3/ दिनांक : 10, नवम्बर, 2016

विषयः-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या-498/2015, पुष्प सैनी बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत संघ व अन्य में दिनॉक 14.12.2015, 24.02.2016, 06.04.2016 एवम् 10.05.2016 को पारित आदेश के अनुपालन के संबन्ध में।

संदर्भः-सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 का पत्र सं0-एफ 80823/सी-2/एन0जी0टी0/353/16, दि006.06.2016

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 498/2015 के द्वारा हाइड्राइलोकिट्रक पावर प्लांट्स हेतु सम्बन्धित नदी के डाउनस्ट्रीम में कम से कम 15 प्रतिशत फ्लो मेन्टेन किए जाने हेतु किए गए अनुरोध पर टिप्पणी/रिपोर्ट से अवगत कराने की वांछना की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस विभाग के अन्तर्गत कालागढ बांध, जो रामगंगा नदी पर स्थित है, की डाउनस्ट्रीम टो में विद्युत गृह संचालित है। अतः विद्युत गृह से संचालित होकर पूर्ण जल रामगंगा नदी में प्रवाहित होने के फलस्वरूप रामगंगा नदी में अनवरत जल कालागढ बांध व विद्युत गृह के डाउनस्ट्रीम में बहता रहता है, जो कम से कम 15 प्रतिशत फ्लो मेन्टेन करने की शर्त की पूर्ति करता है।

इसके अतिरिक्त इस विभाग के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जनपद ललितपुर में बेतवा नदी पर माताटीला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स निर्मित है। मानसून अवधि के अलावा शेष अवधि में इस हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हेतु नदी के डाउन स्ट्रीम में कम से कम 15 प्रतिशत फ्लो मेन्टेन करना सम्भव नही है।

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा रिहन्द बांध एवम् ओबरा बांध से जल विद्युत उत्पादन के लिए संचालन उ0प्र0जल विद्युत निगम द्वारा किया जाता है। अतः बाँध के डाऊन स्ट्रीम में प्रवाह को 15 प्रतिशत बनाये रखना प्रदेश की विद्युत मांग एवम् उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के कन्ट्रोल यूनिट स्टेट लोड डिस्पैच सेण्टर, लखनऊ के निर्देश पर आधारित है। स्टेट लोड डिस्पैच सेण्टर, लखनऊ के निर्देशानुसार ही रिहन्द जल विद्युत गृह पिपरी की मशीनों का परिचालन किया जाता है।

उपरोक्त आख्या ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या-498/2015, पुष्प सैनी बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश के क्रम में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित है।

उपरोक्त आख्या से प्रमुख अभियन्ता एवम् विभागाध्यक्ष सहमत है।

भवदीय,

मुख्य अभियन्ता(जल संसाधन)

C-2/NGT Cell
22.11.16
NGT Cell
23/11/16
EE MR-215

(1)

(8)

पत्रांकः /अनिमं–1/अनिख–3/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–

1–प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2–विशेष सचिव, सिंचाई एवम् जल संसाधन अनुभाग–4,उ0प्र0शासन, लखनऊ को संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्नकर सादर सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

3–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित है।

4–मुख्य अभियन्ता (यमुना), ओखला, सिंचाई एवम् जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, को संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्नकर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

5–मुख्य अभियन्ता(सोन),वाराणसी/मु0अ0(बेतवा)/(परि0बेतवा), झाँसी/मु0अ0 (पूर्वीगंगा), मुरादाबाद, मुख्य अभियन्ता(गंगा), मेरठ सिंचाई एवम् जल संसाधन विभाग,उत्तर प्रदेश, को सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियन्ता(जल संसाधन)

मा0 एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 संख्या 102/2014 सैण्ड प्लास्ट इण्डिया लि0 एवं अन्य बनाम पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं अन्य के संबंध में पारित विभिन्न आदेशों में बोर्ड से संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही का विवरण।

पारित आदेश	अनुपालन में की गयी कार्यवाही
• आदेश दिनांक 10.11.2014 में मुख्य रूप से उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय आदि से कार्यवाही की अपेक्षा की गयी थी। अगली तिथि दिनांक 11–12–2014 नियत थी। इसमें एन0टी0पी0सी0 व हिण्डाल्को द्वारा उड़ीसा स्थित खाली खदानों में फ्लाई ऐश के भरान हेतु प्रयोग से होने वाले प्रभाव का आंकलन किया जाना है।	कार्यवाही राज्य बोर्ड से संबंधित नहीं है।
• आदेश दिनांक 06.01.2016 को फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन 03.11.2009 के अनुसार मॉनीटरिंग कमेटी गठित किए जाने की प्रदेशवार की गयी कार्यवाही का विवरण चाहा गया है तथा आगामी तिथि 15.02.2016 नियत की गयी।	कार्यवाही समस्त प्रदेश सरकारों से अपेक्षित।
• दिनांक 15.02.2016 एवं 17.03.2016 को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपरोक्तानुसार मॉनीटरिंग कमेटी गठित किए जाने की प्रगति की समीक्षा की गयी तथा आगामी तिथि 28.04.2016 नियत की गयी।	पर्यावरण विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन 03.11.2009 के अनुसार राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के गठन तथा फ्लाई ऐश के प्रयोग व निस्तारण के संबंध में विभिन्न विभागों के साथ दिनांक 13.04.2016 को बैठक आहूत करने के पश्चात दिनांक 03.05.2016 को अनुश्रवण समिति का गठन किया गया तथा विभिन्न विभागों के स्तर से फ्लाई ऐश के प्रयोग के संबंध में प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
• दिनांक 28.04.2016 को अब तक की कार्यवाही की समीक्षा की गयी तथा उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों जिनके द्वारा मॉनीटरिंग कमेटी गठित किए जाने तथा अन्य संबंधित निर्देश जो दिनांक 06.01.2016 को पारित किए गए हैं, के अनुपालन की स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी तिथि 27.05.2016 नियत है।	पर्यावरण निदेशालय स्तर से दिनांक 03.05.2016 को गठित अनुश्रवण समिति के संबंध में सूचना सहित अन्य विवरण समावेशित करते हुए मा0 एन0जी0टी0 में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना है।

पत्रांक 975

दिनांक 25-5-16

बैठक दिनांक 26.05.2016, समय–12.30 से 1.00 बजे

संख्या–मु0स0155 /55–पर्या–16–45 (रिट)/16

प्रेषक,

श्री उमेश चन्द्र,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/सचिव
ऊर्जा/ भूतत्व एवं खनिकर्म/वन/ग्रामीण अभियन्त्रण/लोक निर्माण/ग्राम्य विकास तथा कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक
पर्यावरण निदेशालय
उ0प्र0 लखनऊ।
3. सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।
4. श्री उत्कर्ष रघुबंशी,
उप सामान्य प्रबन्धक,
कारपोरेट अफेयर्स, हिण्डालको,
गोखले मार्ग, लखनऊ।
5. फ्लाई ऐश वेस्ड ब्रिक्स
मैन्यूफेक्चर्स एण्ड प्रोमोर्टस एसोसिएशन
5, स्वप्न लोक अर्पाटमेन्ट, IVRI रोड
इज्जत नगर, बरेली–243122

बैठक
26-5-16
12.30 बजे
मुख्य सचिव

लखनऊः दिनांक 25 मई, 2016

पर्यावरण अनुभाग

विषयः– ओ0ए0 संख्या–102/2014, सैण्ड प्लास्ट बनाम एम0ओ0इ0एफ0 एवं उससे सम्बद्ध ओ0ए0 संख्या–117/2014, शान्तनु शर्मा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व ओ0ए0 संख्या 499/2014, अनुपम राघव बनाम यूनियन आफ इण्डिया में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन फ्लाई ऐश के उपयोग के संबंध में।

C-2
25-5-16

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, फ्लाई ऐश बेस्ड ब्रिक्स मैन्यूफेक्चर्स एण्ड प्रोमोटर्स एसोसिएशन बरेली के पत्र दिनांक 18.05.2016 को संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में की गयी अपेक्षाओं पर विचार–विमर्श हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.05.2016 को पूर्वान्ह 12.30 से 1.00 बजे तक लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित उनके सभाकक्ष में एक समीक्षा बैठक आहूत की गयी है।

अतः कृपया उपर्युक्त बैठक में यथासमय संबंधित सूचनाओं/अभिलेखों सहित स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(उमेश चन्द्र) 25/5/16
अनु सचिव।

संख्या– मु0स0 155 (1)/55–पर्या, 2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)
अनु सचिव।

Under Society Registration Act 21, 1860   Registration No. 914/2014-15

Flyash based bricks Manufacturers & Promoters Association

फ्लाई एश बेस्ड ब्रिक्स मैन्यूफेक्चर्स एण्ड प्रोमोर्टस एसोसिएशन

FABMAPA

5, Swapn Lok Appartments, IVRI Road, Izzatnagar, Bareilly-243 122

18.5.201

सेवा में,

श्रीमान मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन, ऐनेक्सी भवन

लखनऊ।

No. 6520 /MS/MISC/2016

मु० स० -155/55-4441-201

CS sir की अध्यक्षता में होने वाली बैठक मे

1. NGT के आदेश

मा. HC के आदेश

MoEF के Notification 1999 and 2009

State Govt departments/ Work Agencies/Public Authority within the jurisdiction of State

- tender documents
- building Bye laws

विषय : फ्लाई ऐश ईंट का अनिवार्य प्रयोग सरकारी निर्माण इकाईयों द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

1) भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक– 03/11/2009, जो कि भारत के राजपत्र के रूप में प्रकाशित हुई है के पैराग्राफ संख्या 1(A) एवं 1(B) में स्पष्ट उल्लेख है कि सभी निर्माण संस्थायें किसी भी कोयला आधारित पावर प्लांट से 100 किमी की परिधि के अंतर्गत कोई भी निर्माण कार्य फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटों द्वारा अनिवार्य रूप से करेंगी तथा यह नियम सभी केन्द्रिय सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार जैसे– पंचायत, निगम इत्यादि सभी निर्माण संस्थाओं अभिकरणों पर लागू होंगे (प्रतिलिपि संलग्नक–1)।

उपरोक्त प्रावधान के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार की अधिकृत शासकीय/अर्दशासकीय निर्माण इकाईयों, निगमों द्वारा फ्लाई ऐश ईंट का प्रयोग निर्माण कार्यों में नहीं किया जा रहा है। निर्माण इकाईयों द्वारा मौखिक रूप से यह बताया जाता है कि हमारे Estimate एवं Design में फ्लाई ऐश ईंट का प्रयोग शामिल नहीं है। जबकि फ्लाई ऐश ईंट मिट्टी निर्मित ईंट की तुलना में 1000 के स्थान पर लगभग 870 ईंटें प्रयोग में लगती हैं। इसके अतिरिक्त सीमेंट एवं प्लास्टर का खर्च भी कम होता है। फ्लाई ऐश रेट की दर भी मिट्टी की ईंट की तुलना में लगभग रुपये 500 प्रति हजार कम है। इस प्रकार से निर्माण की लागत भी कम आती है।

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर
मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन।

20-5-2016

23/05/16

25/5/16

2) फ्लाई ऐश ईंट के प्रयोग के समबन्ध में माननीय एन.जी.टी., मुख्य बेंच ने Original application 102/2014 Sand Plast India Ltd. व अन्य बनाम, पर्यावरण मंत्रालय ने 10/11/2014 को आदेश पारित करते हुये सभी राज्य सरकार एवं पब्लिक एथॉरिटी, कारपोरेशन को फ्लाई ऐश ईंटों के प्रयोग को

(शेष पृष्ठ 2 पर)

E-mail : upfabmapa@gmail.com. Website : www.upfabmapa.com
Contact : +91 9457158115, +91 7409811119

अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के आदेश जारी किये हैं। माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्नक–2 के रूप में संलग्न है।

(3) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट पिटिशन संख्या 60925 वर्ष 2014 मै. अदिति इंफ्रा वर्क्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया तथा अन्य में दिनांक– 28/11/2014 को आदेश पारित करते हुये फ्लाई ऐश ईंट के अनिवार्य प्रयोग हेतु आदेशित किया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्नक–3 के रूप में संलग्न है।

(4) हमारे संगठन के सदस्य अदिति ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि द्वारा आपके ईमेल के माध्यम से 16/10/2014 को फ्लाई ऐश ईंट के प्रयोग के लिये आवश्यक निर्देश आपके अपने स्तर से जारी करने का अनुरोध किया गया था। जिसकी प्रति संलग्नक–4 के रूप में संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये फ्लाई ऐश ईंट के अनिवार्य प्रयोग हेतु विभिन्न विधिक प्रावधानों एवं न्यायालयों के आदेशों के अंतर्गत प्रदेश सरकार की एवं भारत सरकार की राज्य में निर्मित हो रही परियोजनाओं में फ्लाई ऐश ईंट के अनिवार्य प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु आंकलन एवं निर्माण ड्राईंग में फ्लाई ऐश ईंट का प्रयोग करते हुये आगणन तैयार करने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

भवदीय,

दिनाक– 18.5.2016

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

ओ0ए0 संख्या 102/2014 सैण्ड प्लास्ट बनाम एम0ओ0ई0एफ0 एवं उससे सम्बद्ध ओ0ए0 नं0 117/2014 शान्तनु शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, व ओ0ए0 संख्या 499/2014 अनुपम राघव बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में फ्लाई ऐश बेस्ड ब्रिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एण्ड प्रोमोटर्स एसोसियेशन बरेली के पत्र दिनांक 18.05.2016 के संदर्भ में।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 16.01.16, 15.02.16 एवं 17.03.16 में पारित आदेश के अनुपालन में प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.04.16 को बोर्ड के सभाकक्ष में फ्लाई ऐश के प्रयोग के सम्बंध में एक बैठक आहूत की गयी। जिसमें विभिन्न विभागों से निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली फ्लाई ऐश के सम्बंध में अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 03 नवम्बर 2009 एवं अधिसूचना दिनांक 25.01.2016 में यह प्राविधानित किया गया है कि थर्मल पावर प्लाण्ट से 100 किमी0 की परिधि तक फ्लाई ऐश के पुनः प्रयोग हेतु की जाने वाली कार्यवाही हेतु आवश्यक फ्लाई ऐश की आंपूर्ति में आने वाले खर्च का वहन सम्बंधित थर्मल पावर प्लाण्ट द्वारा किया जायेगा तथा उसके आगे 300 किमी0 की परिधि तक फ्लाई ऐश को ले जाने हेतु आने वाले व्यय को सम्बंधित संस्था व थर्मल पावर प्लाण्ट द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जायेगा।

इसी के साथ–साथ थर्मल पावर प्लाण्ट द्वारा फ्लाई ऐश आधारित ईट के निर्माण तथा अन्य बिल्डिंग कान्सट्रक्शन मैटिरियल में फ्लाई ऐश के प्रयोग को बढावा देने तथा इनके उत्पाद बनाने वाली इकाइयों का प्रोत्साहित किया जायेगा।

विभिन्न सरकारी निर्माण कम्पनियों, जो सम्बंधित थर्मल पावर प्लाण्ट से 300 किमी0 की परिधि में निर्माण कार्य करा रही हैं, उनके लिये यह अनिवार्य है कि वे फ्लाई ऐश के प्रयोग हेतु समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करायें। इसी कड़ी में अगर यह सरकारी निर्माण कम्पनियां फ्लाई ऐश आधारित ईटों को अपने निर्माण कार्य में प्रयोग करना प्रारम्भ कर दे तो फ्लाई ऐश के प्रयोग के साथ–साथ फ्लाई ऐश आधारित बिल्डिंग मैटिरियल की खपत हो सकती है तथा ईट आदि के निर्माण में प्रयोग होने वाली मिटटी की ऊपरी सतह का संरक्षण भी सम्भव हो सकेगा। अतः यह उचित होगा कि सम्बंधित विभाग फ्लाई ऐश आधारित ईटों की गुणता के आधार पर विभिन्न सरकारी निर्माण कार्यों में इनके प्रयोग हेतु यथाशीघ्र वांछित आदेश पारित कराकर इसका प्रयोग सुनिश्चित करायें, जिससे उपरोक्त अधिसूचनाओं तथा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 2016/माघ 7, 1937
No. 225] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2016/ MAGHA 7 , 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2016

का.आ. 254(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 763(अ), तारीख 14 सितंबर, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) में कतिपय संशोधनों का प्रारूप, जिन्हें केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के अंतर्गत करने का प्रस्ताव करती है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1396(अ), तारीख 25 मई, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसके द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त प्रारूप संशोधनों को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिनों के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 25 मई, 2015 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में-

(क) उप पैरा 1(क) में "सौ किलोमीटर" शब्दों के स्थान पर "तीन सौ किलोमीटर" शब्द रखें जाएंगे;

(ख) उप पैरा 3 में "100 कि.मी." अंकों और शब्दों के स्थान पर "तीन सौ किलोमीटर" शब्द रखें जाएंगे;

(ग) उप पैरा 5 में "सौ किलोमीटर" शब्दों के स्थान पर "तीन सौ किलोमीटर" शब्द रखें जाएंगे;

(घ) उप पैरा 7 में "सौ किलोमीटर" शब्दों के स्थान पर "तीन सौ किलोमीटर" शब्द रखें जाएंगे;

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में:-

(क) उप पैरा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि शुष्क ईएसपी फ्लाई ऐश के 20 प्रतिशत का नि:शुल्क प्रदाय करने का निर्बंधन उन तापीय विद्युत संयंत्रों पर लागू नहीं होगा, जो विहित रीति में सौ प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग करने में समर्थ हैं।"

(ख) उप पैरा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(8) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र (जिसके अंतर्गत कैपटिव और/या सह उत्पादन केन्द्र भी हैं), अधिसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर उनके पास उपलब्ध प्रत्येक किस्म की ऐश के स्टाक के ब्यौरे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा और उसके पश्चात् मास में कम से कम एक बार स्टाक की स्थिति को अद्यतन करेगा।

(9) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र समर्पित शुष्क ऐश साइलोस प्रतिष्ठापित करेगा, जिनके पास पृथक् पहुंच मार्ग होंगे, जिससे कि फ्लाई ऐश के परिदान को सुगम बनाया जा सके।

(10) कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र से 100 किलोमीटर की परिधि के भीतर सड़क संनिर्माण परियोजनाओं या ऐश आधारित उत्पादों के संनिर्माण के लिए या कृषि संबंधित क्रियाकलापों में मृदा अनुकूलक के रूप में उपयोग के लिए ऐश के परिवहन की लागत ऐसे कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र द्वारा वहन की जाएगी और 100 किलोमीटर की परिधि से परे और 300 किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे परिवहन की लागत को उपयोक्ता और कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र के बीच समान रूप से अंश भाजित की जाएगी।

(11) कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र अपने परिसरों के भीतर या अपने परिसरों के आस-पास ऐश आधारित उत्पाद संनिर्माण सुविधाओं का संवर्धन करेंगे, उन्हें अपनाएंगे और उनकी स्थापना करेंगे (वित्तीय और अन्य सहबद्ध अवसंरचना)।

(12) नगरों के आस-पास बने कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र ऐश आधारित उत्पाद विनिर्माण इकाइयों का संवर्धन करेंगे और उनकी स्थापना का समर्थन और उसमें सहायता करेंगे ताकि ईंटों और अन्य भवन संनिर्माण सामग्रियों की अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सके और साथ ही परिवहन में कमी की जा सके।

(13) यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी सड़क संनिर्माण का संविदाकार सड़क निर्माण में ऐश का उपयोग करता है, सड़क संनिर्माण के लिए संबद्ध प्राधिकारी संविदाकार को किए जाने वाले संदाय को तापीय विद्युत संयंत्र से ऐश के प्रदाय के प्रमाणीकरण के साथ जोड़ेगा।

(14) कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, 300 किलोमीटर की परिधि के भीतर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन सड़क संनिर्माण परियोजनाओं और भवनों, सड़कों, बांधों और तटबंधों के संनिर्माण को अंतर्वलित करने वाले सरकार के आस्ति सृजन कार्यक्रमों के स्थल तक ऐश के परिवहन की संपूर्ण लागत का वहन करेगा।"।

3. उक्त अधिसूचना के पैरा (2) के उप-पैरा (2क) को उप-पैरा (15) के रूप में पढ़ा जाए और उक्त उप-पैरा के अंत में निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"और तटीय जिलों में अवस्थित कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र तटरेखा सुरक्षा उपायों का समर्थन करेंगे, उनके संनिर्माण में सहायता करेंगे या उसमें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होंगे।"

4. उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में उप-पैरा (7) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(8) विभिन्न संनिर्माण परियोजनाओं का अनुमोदन करने वाले सभी राज्य प्राधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि फ्लाई ऐश का उपयोग करने या फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों के लिए तापीय विद्युत संयंत्रों और संनिर्माण अभिकरण या संविदाकारों के बीच परस्पर समझ ज्ञापन या कोई अन्य ठहराव किया जाता है।

(9) राज्य प्राधिकारी, दस लाख या अधिक की जनसंख्या वाले नगरों की भवन निर्माण संबंधी उप विधियों का संशोधन करेंगे ताकि भार वहन करने वाली संरचनाओं हेतु तकनीकी अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक विनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए ऐश आधारित ईंटों के आज्ञापक उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।

(10) संबद्ध प्राधिकारी सभी सरकारी स्कीमों या कार्यक्रमों में, उदाहरणार्थ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा), स्वच्छ भारत अभियान, शहरी और ग्रामीण आवासन स्कीम, जहां संनिर्मित क्षेत्र एक हजार वर्ग फुट से अधिक है और अवसंरचना संबंधी संनिर्माण में, जिसके अंतर्गत अभिहित औद्योगिक संपदाओं या पार्कों या विशेष आर्थिक जोनों में भवन निर्माण भी है, ऐश आधारित ईंटों या उत्पादों के आज्ञापक उपयोग को सुनिश्चित करेंगे ।

(11) कृषि मंत्रालय कृषि क्रियाकलापों में ऐश के मृदा अनुकूलक के रूप में उपयोग का संवर्धन करने पर विचार कर सकेगा ।"

5. सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन करने की समयावधि 31 दिसंबर, 2017 है । कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, उनके द्वारा उत्पादित फ्लाई ऐश के 100 प्रतिशत उपयोग के अतिरिक्त उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन 31 दिसंबर, 2017 से पूर्व करेंगे ।

[फा. सं. 9-8/2005-एचएसएमडी]

बिश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 763(अ), तारीख 14 सितंबर, 1999 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 979(अ), तारीख 27 अगस्त, 2003 और का.आ. 2804(अ), तारीख 3 नवंबर, 2009 द्वारा किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2016

S.O. 254(E).—Whereas a draft of certain amendments to the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change number S.O. 763(E), dated the 14th September, 1999 (hereinafter referred to as the said notification) which the Central Government proposes to make under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 1396(E), dated the 25th May, 2015 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft amendments were made available to the public.

And, whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 25th May, 2015;

And, whereas all the objections and suggestions received from all persons likely to be affected thereby in respect of the said draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments to the said notification, namely: —

1. In the said notification, in paragraph 1,-

(a) in sub-paragraph 1(A), for the words "hundred kilometers", the words "three hundred kilometers" shall be substituted;

(b) in sub-paragraph (3), for the figures and letters "100 km", the words "three hundred kilometers" shall be substituted;

(c) in sub-paragraph (5), for the words "hundred Kilometers", the words "three hundred Kilometers" shall be substituted;

(d) in sub-paragraph (7), for the words "hundred Kilometers", the words "three hundred Kilometers" shall be substituted.

2. **In the said notification, in paragraph 2:-**

(a) after sub-paragraph (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"provided further that the restriction to provide 20 % of dry ESP fly ash free of cost shall not apply to those thermal power plants which are able to utlise 100 % fly ash in the prescribed manner."

(b) after sub-paragraph (7), the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:-

"(8) Every coal or lignite based thermal power plants (including captive and or co-generating stations) shall, within three months from the date of notification, upload on their website the details of stock of each type of ash available with them and thereafter shall update the stock position at least once a Month.

(9) Every coal or lignite based thermal power plants shall install dedicated dry ash silos having separate access roads so as to ease the delivery of fly ash.

(10) The cost of transportation of ash for road construction projects or for manufacturing of ash based products or use as soil conditioner in agriculture activity within a radius of hundred kilometers from a coal or lignite based thermal power plant shall be borne by such coal or lignite based thermal power plant and the cost of transportation beyond the radius of hundred kilometers and up to three hundred kilometers shall be shared equally between the user and the coal or lignite based thermal power plant.

(11) The coal or lignite based thermal power plants shall promote, adopt and set up (financial and other associated infrastructure) the ash based product manufacturing facilities within their premises or in the vicinity of their premises so as to reduce the transportation of ash.

(12) The coal or lignite based thermal power plants in the vicinity of the cities shall promote, support and assist in setting up of ash based product manufacturing units so as to meet the requirements of bricks and other building construction materials and also to reduce the transportation.

(13) To ensure that the contractor of road construction utilizes the ash in the road, the Authority concerned for road construction shall link the payment of contractor with the certification of ash supply from the thermal power plants.

(14) The coal or lignite based thermal power plants shall within a radius of three hundred kilometers bear the entire cost of transportation of ash to the site of road construction projects under Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojna and asset creation programmes of the Government involving construction of buildings, road, dams and embankments".

3. **In the said notification, in paragraph 2, sub-paragraph (2A) be read as sub-paragraph (15) and at the end of the said sub-paragraph, the following sub-paragraph shall be added, namely:-**

"and the coal or lignite based thermal power plants located in coastal districts shall support, assist or directly engage into construction of shore line protection measures."

4. **In the said notification, in paragraph 3, after sub-paragraph (7), the following shall be inserted, namely:-**

"(8) It shall be the responsibility of all State Authorities approving various construction projects to ensure that Memorandum of Understanding or any other arrangement for using fly ash or fly ash based products is made between the thermal power plants and the construction agency or contractors.

(9) The State Authorities shall amend Building Bye Laws of the cities having population One million or more so as to ensure the mandatory use of ash based bricks keeping in view the specifications necessary as per technical requirements for load bearing structures.

(10) The concerned Authority shall ensure mandatory use of ash based bricks or products in all Government Scheme or programmes e.g. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (MNREGA), SWACHH BHARAT ABIYAN, Urban and Rural Housing Scheme, where built up area is more than 1000 square feet and in infrastructure construction including buildings in designated industrial Estates or Parks or Special Economic Zone.

(11) The Ministry of Agriculture may consider the promotion of ash utilisation in agriculture as soil conditioner."

5. **The time period to comply with the above provisions by all concerned authorities is 31st December, 2017. The coal or lignite based thermal power plants shall comply with the above provision in addition to 100 % utilization of fly ash generated by them before 31st December, 2017.**

[F. No. 9-8/2005-HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii) *vide* notification S.O. 763(E), dated the 14th September, 1999 and was subsequently amended *vide* notification S.O. 979(E), dated the 27th August, 2003 and S.O. 2804(E), dated the 3rd November, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

10-11-14

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A. No. 667 of 2014, M.A. No. 686 of 2014 &
M.A. No. 766 of 2014
In
Original Application No.102 of 2014

IN THE MATTER OF:

Sandplast (India) Ltd. & Ors. Vs. MoEF & Ors.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE SWATANTER KUMAR, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE U.D. SALVI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. D.K. AGRAWAL, EXPERT MEMBER
HON'BLE PROF. A.R. YOUSUF, EXPERT MEMBER

Present:		
	Applicant:	Ms. Tasneema Ahmadi, Advocate.
	Respondent No.1, 2, 22, 61, 83, 103, 115 & 125	Mr. Vikas Malhotra with Mr. M.P. Sahay, Advs.
	Respondent No. 2	Mr. Devashish Bharuka with Ms. Anu Tyagi, Advocates
	Respondent No.3, 8 & 73	Mr. B.V. Niren, Advocate
	Respondent No. 5	Mr. Parag Tripathi, Mr. Bharat Sangal, Mr. Srijana Lama and Mr. I. Abenla Aier, Advocates
	Respondent No. 4,12&126	Mr. Sunieta Ojha
	Respondent No. 13	Mr. Om Prakash with Dr. Jwala Bansal, Advocates.
	Respondent No. 106	Mr. Ravin Dubey, Advocate
	Repondent No. 95	Mr. Guntur Prabhakar, Mr. Guntur Pramod Kumar and Mr. Prashant Mathur, Advocates
	Respondent No. 30,50,70 92,112	Mr. Raman Yadav, Advocates
	Respondent No. 2, 115	Mr. Rachit Mittal along with Neeraj Gupta, Advocates
	Respondent No. 120	Mr. Rajiv Bansal and Mr. Kush Sharma, Advocates
	Respondent No. 119	Mr. Neena Rani Pandey, Advocate
	Respondent No. 110	Mr. Ajay Choudhary and Mr. Ankit R. Kothari, Advocates
	Respondent No.20,81&128	Mr. Manjit Singh, Sr. Advocate, Mr. Tanjit Singh, Ms. Nupur Choudhary, Advocates
	Respondent No. 25	Mr. C.D. Singh and Mr. Anshuman Srivastava, Advocates
	Respondent No. 11	Mr. Balendu Shekhar and Mr. Vivek Jaiswal, Advocates
	Respondent No. 116	Mr. Krishnan Venugopal, Sr. Adv., Mr. Santosh Kumar, Advocates
	Respondent No. 31,51, 71&93	Mr. Bikas Kar Gupta, Advocate
	Respondent No. 30,50,70, 92 and 112	Ms. Savitri Pandey, Advocate
	Respondent No. 6, 45&65	Mr. Birja Mahapatra, Advocate with Mr. Dinesh Jindal, LO, DPCC
	Respondent No. 27	Shri Anil Soni, Advocate, AAG for State of Punjab with Ms. Sakshi Agrawal, Advocate
	Respondent No. 34	Mr. Avijit Roy, Advocate
	Respondent No. 118	Ms. Sakshi Popli, Advocate for NDMC
	Respondent No. 24, 43, 63, 85 and 105	Mr. Ajit S. Bhasma, Advocate and Mr. Pankaj Kumar Mishra, Advocate
	Respondent No. 32,52,94,114&152	Mr. Alok Kumar & Ms. Shubham Mahajan.
	Respondent No. 18,37,57,79,99	Ms. S. Pandey, Ms. Bansuri Swaraj and Ms. S. Bhatnagar, Advocates

Respondent No. 16,35,97	**Mr. Rudreswan Singh, Advocate**
Respondent No. 63	**Mr. Mukesh Verma**
Respondent No. 121	**Mr. D. Bhadra, Advocate**
Respondent No. 74	**Mr. Abhishek Paruth, Advocate for CPCB**
Respondent No. 14,33,53&95	**Ms. Akansha, Advocate**
Respondent No. 113	**Mr. Amit Aggarwal with Mr. Nayan Behani, Advocates**
Respondent No. 39 & 59	**Mr. Narender hooda, Mr. B. Deswal and Mr. Vineet Malik, Advocates**
Respondent No. 89	**Mr. Anil Soni with Ms. Saakshi Agrawal, Advocates**
	Mr. Ashok Gupta, Sr.Advocate, Mr. Ghanshya, Mr. P.K. Mandhar, Advocates in
Respondent No. 117	**Mr. Bipin B. Singh, Advocate**
Respondent No. 123	**Mr. Abhishek Thakur, Advocate**
	Mr. A.K. Panda, Sr. Adv., Mr. S. Panda and Mr. M. Paikaraj, Advocates for OSPCB
Respondent No. 39, 101	**Mr. Narender Hooda, Mr. B. Deswal and Mr. S.S. Hooda, Advocates**
Respondent No. 109	**Mr. Jayant K. Sud, Mr. Vishal Dabas and Mr. Banita Singh, Advocates**
	Mr. G.M. Kawoosa, Advocates for State of J&K.
Respondent No. 47 & 67	**Mr. Shubham Bhalla, Advocate**
Respondent No. 49 & 69	**Mr. M. Yogesh Kanna for TNPCB**
Respondent No. 38,80 & 100	**Ms. Preeti Bhardwaj for Gujarat**
Respondent No. 26,66,88 & 108	**Mr. Ashok Panigrahi and Mr. Ashmi Mohan, Advocates**
Respondent No. 17,36,56,78 & 98	**Mr. Atul Jha, Adv.**
Respondent No. 7,45,65,87,107	**Mr. Sushil Dutt Sahani and Ms. Latika Dutta, Advocates**
Respondent No. 87 & 107	**Mrs. Avnish Ahlwat, Advocate**

	Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	Item No. 10 November 10, 2014 ss	**<u>M.A. No. 766 of 2014</u>** We have heard the Learned Counsel appearing for the parties. We direct that the applicant be impleaded as party Respondent to the main application. The reply to the main application may be filed within two weeks from today with advance copy to Learned Counsel appearing for the applicant who may file Rejoinder thereto, if any, within one week thereafter. We clarify, though there is hardly need for the same, that our order of the injunction prohibited actual act of physical dumping of fly ash in any mine and open area and we have not injucted any process to be completed in accordance with law. With these direction the M.A. No. 766 of 2014 stands disposed of.

		We also direct the M/s. HINDALCO to submit before us the study carried out by them in compliance with the consent granted to them vide order dated 5th December 2013 in Clause-2 along with their reply. All the respondents who have not filed their respective replies, should file the same now positively within two weeks from today with advance copy to applicant, who may file Rejoinder thereto, if any, within two weeks thereafter. Any respondent who have not filed the replies within the time granted by the Tribunal, the right of those respondents to file replies shall stand forfeited. **M.A. No. 667 of 2014** The Learned Counsel appearing for Odisha State Pollution Control Board submits that they would file the report during the course of the day. Liberty is granted. Objection to the said report, if any, be filed within two weeks from today. In the event no objection is filed it will be taken that such party does not have objection to the acceptance of that report. The Learned Counsel appearing for the Respondent No. 5 is permitted to file documents during the course of the day. In the meanwhile we direct the joint team consisting of the Member Secretary, Central Pollution Control Board, Senior Scientist from MoEF, Member Secretary, Odisha Pollution Control Board and nominated scientist from NEERI to visit the sites of NTPC, HINDALCO and even the other Thermal plants in that area, and shall collect fly ash samples including the stack samples therefrom, and further analyse the same. They shall also visit the mine areas, Where the fly ash is being dumped by

		these respective industries. They shall also collect ground water samples therefrom and analyse them. All these analysis reports along with their opinion as regards the adverse impact, if any, of such fly ash dumping, upon the human health and environment should be placed before the Tribunal on the next date of hearing. The Learned Counsel appearing for the State of Rajasthan undertakes to appear before the Tribunal regularly. Consequently, the bailable warrant issued again the said Respondent is hereby cancelled and shall not be executed. List this matter on 11th December, 2014 at the end of the Board. .....,CP (Swatanter Kumar) ....., JM (U.D. Salvi) ....., EM (Dr. D.K. Agrawal) ....., EM (Prof. A.R. Yousuf)

06-01-2016

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 117 of 2014
&
Original Application No. 499 of 2014
&
Original Application No.102 of 2014
(M.A. NO. 858/2014, M.A. NO. 872/2014,
M.A. NO. 42/2015, M.A. NO.287/2015
& M.A. NO.694/2015)

Shantanu Sharma Vs Union of India & Ors.
&
Anupam Raghav & Anr. Vs. U.O.I. & Ors.
&
Sandplast (India) Ltd. & Ors. Vs. MoEF & Ors

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE U.D. SALVI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. RANJAN CHATTERJEE, EXPERT MEMBER

Original Application No. 499 of 2014

Present:	Applicant :	Appearance not marked
	Respondent No. 1:	Mr. Vikas Malhotra Adv.
	Respondent Nos. 2 to 5:	Ms. Savitri Pandey and Ms. Azma Parveen, Advs.
	Respondent Nos. 6 to 9:	Mr. Pradeep Misra and Mr. Daleep Kr. Dhyani, Advs.
	Respondent Nos.2-5,10-11:	Ms. Savitri Pandey and Ms. Azma Parveen, Advs.
	State of Meghalaya	: Mr. Upendra Mishra, Adv., Ms. Aparajita, adv.
	RSPCB	:Mr. Ranjan Mukherjee, Mr. Adhiraj, Mr. Saurabh Rajpal, Advs.
	Andaman & Nicobar Island	: Mr. Sarthak Chaturvedi, Mr. Rohit, Mr. D. N. Tripathi Advs.
	State of Mizoram& Mizoram PCB	:Mr. Ravikant, Mr. Pragyan, Mr. Pulkit, Advs.
	Puducherry	: Mr. Abhimanyu, Ms. Preety, advs.

Original Application No.102 of 2014

Present:	Applicant:	Mr. Tasneem Ahmadi, Mr. Pramod Kumar, Advs.
	Respondent No. 1	Mr. Vikas Malhotra , Mr. M.P. Sahay Adv.
	Respondent Nos. 3,22,41, 61,83,103,115, 125	Ms. Priyanka Sinha, Ms. Anu Tyagi, , Advs.
	Respondent No. 3	Mr. B.V. Niren, Adv.
	Respondent No. 5 & 131	Mr. Bharat Sanghal, Adv. and Ms. Srijan Advs.
	Respondent No.4,12 & 128	Mr. Sandeep Mahapatra, Advocate
	Respondent Nos. 7, 81,107, 45 65, 112, 118, 119, 75	: Mrs. Avnish Ahlawat, Adv.
	Respondent No. 13& 15	:Dr. Kumar Jwala and Mr. Om Prakash, Adv.
	Respondent Nos. 14, 32, 53 75 & 95	:Mr. N. Sai Vinod and Mr. Nikhil Nayyar, Advs.
	State of Mizoram	:,Mr. Ravi KANT, Mr. Pragyan Sharma, Advs.
	Respondent No. 17,36,56,78 & 98	Mr. Atul Jha, Adv.
	Respondent No. 24	:Mr. Pankaj Kr. Mishra and Mr. Ajit S. Bhasme, Advs.
	Respondent No. 32, 52, 94 114 126	:Mr. D.K. Thakur, Mr. Deepak Jain and Mr. Alok, Advs.
	Respondent No. 63 :	Mr. Mukesh Verma, Adv
	Respondent No. 75 & 95	:Mr. Guntur Pramod Kumar and Mr Prashant Mathur, Advs.
	SPCB orisha	: Mr. A.K. Pandey, Mr. M. Paikaray, ADVS.
	State of Arunachal Pradesh & PCB	: Mr. Anil, Mr. Sayam Saxena and Mr. Pranav ADVS.
	Respondent No. 28, 48, 68 90, 110 and 127	:Mr. Ajay Choudhary, Adv.
	Respondent No.30,50,70,92&112:	Mr. Raman Yadav,Adv., Mr. Dalsher Singy, Adv.
	State of Tamil Nadu	: Mr. yogesh, Mr. Jayanat, Advs.

Respondent no. 106	: Mr. Ravin Dubey, Adv.
WBPCB	Mr. Amit Agrawal, and Ms Asha Nayar Advs.
Respondent No. 11 :	Mr. Balendu Shekar, Mr. akshy Adv. for EDMC , Akshay Abrol, Advs.
Respondent No. 47, 67 & 89	:Mr. Shubham Bhalla. Adv.
CPCB	: Mr. Raj Kumar with Mr. Bhupinder and Ms. Jatinder kaur. LA
Sikkim	: Mr. Aruna, Mr. Avneesh, Ms. Anuradha, Advs.
DPCC	: Mr. Biraja, Adv. Mr. Dinesh, LO
Respondent No. 30,50,92,112	Mr. Raman Yadav and Mr. Dalsher Singh, Advs.
Andaman and Nicobar	: Mr. SARTHAK Chaturvedi, Mr. Rohit and Mr. D.N. Tripathi Advs.
Respondent No. 169	:Mr. Saket Sikri, Mrs. Navneet and Mr. Junaid Nahvi
State of Manipur	:Mr. SApam Biswajit, Mr. Savijayanand, Ms. kalyani Advs.
State of Bihar & PCB	:Mr. Rudreshwar, Mr. GAUTAM, Ms. Divya, Advs.
West Bengal	:,Mr. Amit Agarwal Adv.
JSPCB	:Mr. Jayesh Gaurav, Adv.
Assam	:Ms. Deepika, Ms. Kankana, Advs.
Meghalaya	:Mr. Ranjan Mukherjee Mr.Upendra Mishra, Mr. Aparajit Advs.
Respondent No. 63,UPCBS,MPCB	: Mr. Mukesh Verma, adv.
PCB Assam	:Mr. Shuvodeep Roy, Adv.
Respondent No.24,43&105	:Mr. Pankaj, Mr. Ajit, ADVS.
Respondent No. 109	:Mr. Jayant k. Sud, Mr. pranshu, Advs.
CECB	:Ms. Yogmaya Agnihotri, Adv.
APPCB&TSPCB	:Mr. N. Sai Vinod
Respondent No. 116	: Mr. Santosh, Adv.
Telangana SPCB	:Mr. palwai venkat reddy. Mr. prashant, Advs.
Respondent No. 130	:Mr. Ajit, Ms. Shruti, ADVS.
Respondent(Applicant) (M.A. NO. 42/2015, O.A. 102/2014)	: saket, Mr. Juniad, Mr. navneet, Advs.
Karnataka	:Mr. Devraj Ashok, Adv.
Meghalya SPCB	: Mr. Tayenjam Momo, Adv.
State of Goa:	Mr.. Atmaram N.S. Nadkarani, Mr. S.S. Rebello, Ms. Debarshi, Mr. Anshuman, , Advs.
Gujarat PCB	: Ms. vinakshi, Ms. Hemantika; Mr. Dhruv ADVS.
Respondent No. 132	:, Mr. Anand, , Advs.
Respondent No. 74	:Mr. Abhishek pruthi
HPPCB	: Mr. D.K. Thakur and Mr. S. Ahmed Adv.
Nagaland&Nagaland PCB	:Mr. K. Entoli Semag, Mr. Amit, Advs.
Rajasthan	: Mr. Ajay, adv.
DJB	: Mr. suresh, adv.
TSGENCO	: Mr.abhinav rao, Adv.
Respondent no. 38	: Ms. Ranjana, Mr. namit, Ms. Sonakshi, advs.
MPPCB	: Mr. Rajul, Ms. Sucheta, Adv.
M.P.	: Mr. V.k. Shukla, Adv.
UPPCB	: Mr. Pradeep Mishra, Mr. Daleep Dhyani, Advs.
Respondent no. 95	: Ms. Pallvai Venkat Reddy, Mr. prashant, advs.
Puducherry	: Mr. abhimanyu, Ms. Preety, advs.
State of W.B.	: Mr. bikar, Mr. amit, advs.
	: Mr. shubham, Adv.
HSPCB	: Mr. anil, Mr. Rahul, advs.
	: Ms. Shakshi Popli, Adv. for MoEF
	: Mr. Jogy Scaria and Ms. Beena, Advs. for State of Kerala and KSPCB
	: Dr. Abhishek and Mr. Sumit Razora, Advs. for UT lakshdweep
	: Mr. Ashok Gupta, Sr. Adv. and Mr. Ghanshyam, Advs. for NALCO
	Mr. Shiv Mangal, Mr. Adhiraj, Mr. S. Rajpal, Advs. for RSPCB
	|Mr. Jayan K. Sud and Mr. Honey Khanna, Mr. Dhingra, Advs for state of Punjab
	Mr. Tayenjam Momo, Adv for State of Meghalaya
	: Mr. D. Bhadra, Adv. for NBCC Ltd.

: Mr. Alok Kumar and Mr. Dinesh and Ms. V. Singh, Advs for UT Daman Diu and Dadra and Nagar Haveli
: Mr. Gopal Singh and Ms. Versha Poddar, and Mr. Riuraj, Advs for State of Tripura
: Mr. Sapam Biswajit and Ms kalyani, Advs. for Manipur PCB
: Mr. Anad verma, Adav for Respondent no. 132
: Mr. Vikas and Mr. Amit, Adv. for Respondent nos 31, 51, 71, 93
Ms. Priyanka and Mr. G. M. Kawoosa and Ms. Antima, Advs for Jharkhand PCB

Original Application No. 117/2014

Applicant	: Mr. Neeraj Mr. Vardhman Kaushik, advs.
Respondent no. 1	: Mr. Vikas, Mr. M.P. Shay, Advs.
Respondent no. 4	: Mr. K. S. Parikar, Adv.
RSPCB	: Mr. Sumit, Dr. Abhishek , Adv.
RBI	: Mr. K.S. Parihar, Mr. H.S. Parihar, ADVS.
Puduchery	: Mr. Abhimanyu, Ms. Preety Makker, Advs.
PCB	: Mr. Shuvodeep Roy, Adv.
Andaman & Nicobar	:Mr. G. Indira, Mr. K. V. J. Advs.
Respondent No. 24&36	: Mr. Mukesh Verma, Advs.
Respondent No. 16 & 45	: Mr. Anil Grover, Mr. Rahul Khurana, Advs.
M.P.	: Mr. V.k. Shukla, Adv.
M.P.PCB	:Mr. Rajul Shrivastav and Ms Suchta Yadav, Advs.
Respondent No. 65	: Ms. Savitri Pandey, Ms. Azma Parveen, Advs.
Tamil Nadu	: Mr. M. Yogesh, Ms. Jayanti Patel, ADVS.
UPPCB	: Mr. Pradeep Mishra, Mr. Daleep Dhyani, Advs.
Sikkim	: Mr. Arun Mathur, Mr. Avneesh, Ms. Anuradha, Advs.
Nagaland&Nagaland PCB	:Mr. K. Entoli Semag, Mr. Amit, Advs.
Meghalaya SPCB	: Mr. Tayenjam, Adv.
Lakshwadeep	: Dr. Abhishek, Mr. Sumit, ADVS.
Bihar & BSPCB	: Mr. Rudreshwar, Mr. GAUTAM, Ms. Divya, Avs.
West Bengal	: Mr. Viskar, Mr. Amit Aggarwal, Advs.
JSPCB	: Mr. Jayesh Caurav, Mr. Dhruv Pal and Ms Hemantika Wahi and Mr. Vinakshi Kadan, Advs.
Meghalaya	: Mr. Upendra MIshra, Ms Aparajit and Mr. Ranjan Adv.
MeghalayaPCB	: Mr. Tayenjam Momo, Adv.
Karnataka	: Mr. DEVRAJ, Advs.
Manipur	: Ms. Sapam, Ms. Kalyani, Mr. S. Vijayanand, Advs.
Goa SPCB	: Mr. A.N.S Nadkarant, AG., Mr. Purna Bhandari , Adv., Ms. Debarshi, Adv., Mr. S.S. Rebello, Adv.,., Mr. Anshuman, Adv.
Tripura	: Mr. Gopal, Ms. Varsha, Advs.
Gujrat	: Ms. vinakshi, Ms. Hemantika, ADVS.
HPPCB	: Mr. D.K. Thakur, Adv. Mr. Suryanaryana Singh, AAG
HP	: Mr. Suryanaryana Singh, AAG
Arunachal Pradesh	: Mr. Anil, Advs.
HP	: Mr. Suryanarayan, Sr. Adv General.
Respondent no. 3	: Mr. Purva, Ms. Sonia, Advs.
SPCB orisha	: Mr. A.K. Pandey, Mr. M. Paikaray, ADVS.
MPPCB	: Mr. Rajul, Ms. Sucheta, Adv.
Andaman and Nicobar	: Mr. Sarthak Chaturvedi, Mr. Rohit, Mr. D. N. Tripathi Advs.
DPCC	: Mr. Birga, Mr. Dinesh, Advs. : Mr. Shubham Bhalla, Adv. : Mr. Rajkumar, Adv. with Mr. Bhupinder and Ms. Jatinder Kaur, LA, CPCB : Mr. Pragyan Sharma, and Mr. Ravi Kant, Advs for State of Mizoram : Ms. Sonia Sharma, Sr. Standing Counsel Ministry of finance Deptt. Revenue : Mr. S. Roy, Adv. for Assam PCB : Mr. Anil Shrivastav and Mr. Sanyam ans Mr. Pranav Rishi, Advs. For Arunachal Pradesh and State PCB : Mr. V. K. Shukla, Adv. for State of Madhya Pradesh

: Mr. Jogy Scaria and Ms. Beena, Advs. For State of Kerala and State PCB
: Mr. D. K. Thakur and Mr. Deepak amnd Mr. Alok Kumar, Advs. For UT DD, DNH
: Mr. Birja Mohapatra, Adv. and Mr. Dinesh Jindel, LO
: Mr. Mukesh Verma, Adv. for MPCB

	Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	Item Nos. 8 to 10 January 06, 2016	Heard. Perused Record. We had directed the Respondent No. 1 i.e. MoEF and Ministry of Coal, Government of India to reveal to us the facts concerning the constitution of Expert Committee envisaged in Notification dated 03-11-2009. Learned Counsel appearing for the MoEF submits that Expert Committee as envisaged under Notification dated 03-11-2009 is in place as per the O.M. dated 04-02-2010 issued by the Ministry of Coal, Government of India. Copy of the O.M. be furnished to the applicant. Ministry of Coal, Government of India shall place before us the relevant Minutes of the meetings of the Expert Committee held from time to time in order to reveal action taken by them. Copy of it be furnished to the applicant. Learned Counsel appearing on behalf of the Ministry of Coal, Government of India seeks time to place these minutes before the Tribunal. Our attention is further drawn to the obligations cast on the State Government/Local Government/Private and/or Public Sector to use only fly ash based products for construction within the radius of 100 kms from coal and lignite based thermal power plants vide paragraphs 1(a) and 1(B) of paragraphs 1 of Notification dated 14-09-1999 as follows:

		"(1A) Every construction agency engaged in the construction of buildings within a radius of hundred kilometers from a coal or lignite based thermal power plant shall use only fly ash based products for constructions, such as: cement or concrete, fly ash bricks or blocks or tiles or clay fly ash bricks, blocks or tiles or cement fly ash bricks or bricks or blocks or similar products or a combination or aggregate of them in every construction project. (1B) The provisions of sub-paragraphs (1A) shall be applicable to all construction agencies of Central or State or Local Government and private or public sector and it shall be the responsibility of the agencies either undertaking construction or approving the design or both to ensure compliance of the provisions of sub-paragraphs (IA) and to submit annual returns to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control committee, as applicable".

Learned Counsel appearing on behalf of the Applicant in Original Application No. 102 of 2014 submits that there is no escape from this obligation and every construction agency engaged in the construction of buildings be those of the State Government/Local Government/Private and/or Public Sector situate within the radius of 100 kms from coal and lignite based thermal power plants has to use only fly ash based products for construction as mandated and, therefore, it is necessary to hold the concerned authorities committing breach of this obligation liable for penal consequences.

It is brought to our notice at this stage that for enforcement and implementation of the provision of this Notification, there is inbuilt mechanism provided by amended Notification dated 03-11-2009.

(6) A monitoring committee shall be constituted by the Central Government with Members from Ministry of Coal, Ministry of Mines, Ministry of Power, Central Pollution control Board, Central Electricity Authority, Head Fly Ash Unit of Department of Science and Technology and Building Material Technology Promotion Council to monitor the implementation of the provisions of the notification and submit its recommendations or observations at least once in every six months to the Secretary, Ministry of Environment and Forests. Concerned Advisor or Joint Secretary in the Ministry of Environment and Forest will be convener of this committee.

(7) For the purpose of monitoring the implementation of the provisions of this notification the State Governments or Union territory Government shall constitute a Monitoring Committee within three months from the date of issue of this notification under the Chairmanship of Secretary, Department of Environment with representatives from Department of Power, Department of Mining, Road and Building Construction Department and State Pollution Control Board and this Committee would deal with any unresolved issue by Dispute Settlement Committee as prescribed in sub-paragraph (4) of paragraph 1, in addition to monitoring and facilitating implementation of this notification at the respective State Government or Union territory level and this Committee would also be empowered to suitably modify (waive or relax) the stipulation under sub-paragraph (1) in case of non-availability of fly ash in sufficient quantities from thermal power plant as certified by the said power plants and the Committee will meet at least once in every quarter".

We, therefore, direct the concerned authorities, the Respondents, MoEF and the State Governments and Union Territories to place before us the facts concerning the constitution of the Monitoring Committees on the next date of hearing and the action taken by such Monitoring Committees if constituted already; and if such Monitoring Committee has not been constituted as mandated the State Governments and/or Union Territories shall constitute such Monitoring Committee within four (4) weeks from today.

List these matters on 15th February, 2016.

.....,JM
(U.D. Salvi)

.....,EM
(Ranjan Chatterjee)

28-04-2016

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 117 of 2014
&
Original Application No. 499 of 2014
&
Original Application No.102 of 2014
(M.A. NOs. 858/2014,
872/2014, , 42/2015, 287/2015, 694/2015)

Shantanu Sharma Vs Union of India & Ors.
&
Anupam Raghav & Anr. Vs. U.O.I. & Ors.
&
Sandplast (India) Ltd. & Ors. Vs. MoEF & Ors

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE M.S. NAMBIAR, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. BIKRAM SINGH SAJWAN, EXPERT MEMBER

Original Application No. 499 of 2014

Present:	Applicant :	Appearance not marked
	Respondent No. 1:	Mr. Vikas Malhotra Adv.
	Respondent Nos.2-5,10-11:	Ms. Savitri Pandey and Mr. Anshul
	Respondent Nos. 6 to 9:	Mr. Suraj Singh and Mr. Daleep Kr. Dhyani, Advs.
	Andaman & Nicobar Island	: Mr. Sarthak Chaturvedi, Mr. Rohit Panda and Devendra Nath Tripathi, Advs.
	For State of Meghalaya	: Mr. Upendra Mishra and Ms. Aprajita, Advs.
	For State of TN & TNPCB	: Mr. R. Rakesh Sharma, Adv.
	For State of Mizoram	: Mr. Ravi Kant Pal, Mr. Pragya Sharma, Advs.
	For State of Kerala	: Mr. Jogy Scaria

Original Application No.102 of 2014

Present:	Applicant:	Mr. Tasneem Ahmadi, Mr. Shubhi Khera, Advs.
	Respondent No. 1	Mr. Vikas Malhotra , Adv.
	Respondent No. 3&8	: Mr. B.V. Niren, Adv.
	For Sikkim	: Ms. Aruna Mathur, Mr. Avneesh Arputham and Ms. Anuradha Arputham, Advs.
	For CPCB	: Mr. abhishek, Adv. with Ms. Niti Choudhary, LA
	For Assam	: Ms. Kankana Arandhara
	For State of Mizoram	: Mr. Ravi Kantpal and Mr. Pragyan Sharma, Advs.
	For State of Meghalaya	: Mr. Upendra Mishra and Ms. Aprajita Mukherjee, Advs.
	Respondent No. 17,36,56,78 & 98	Mr. Atul Jha, Adv.
	Respondent No. 116	: Mr. Santosh Kumar
	For DPCC	: Mr. Biraya Mahopatra
	Respondent No. 30, 50, 70, 92, 112:	Mr. Raman Yadav and Mr. Dalsher Singh, Advs.
	Respondent No.109	: Mr. Jayant Kumar Sood, Adv.
	Respondent No. 63	: Mr. Mukesh Verma, Adv.
	For State of MP	: Mr. V.K. Shukla, Adv.
	For CECB & RCECB	: Ms. Yogmaya Agnihotri, Adv.
	For Nagaland PCB	: Ms. K. Enatoli Sena, Adv.
	For State of Jharkhand	: Ms. Priyanka Sinha and Ms. Anu Tyagi, Advs.
	For State of Goa and GSPCB:	Mr. Atmaram N.S. Nadlem Mr. Anshuman Srivastava
	Respondent No. 121	: Mr. D. Bhadra, Adv.
	For MPPCB	: Mr. Rajul Shrivastava, ayushi Adv.
	For EDMC	: Mr. Balendu Shekhar
	For UT of Lakshdweep	: Dr. Abhishek Atrey

For State of Gujrat & GPCB: Mr. Dhruv Pal, Ms. Hemantika Wahi, Advs.
For PCB Assam : Mr. Shuvodeep, Adv.
for Maghalaya SPCB : Mr. Tayenjam Momo Singh, Adv.
For NALCO : Mr. Ashok Gupta, Sr. Adv. and Mr. Ghanshyam, Adv.
Respondent No. 105 : Mr. Pankaj Kr. Mishra and Mr. Ajit S. Bhasme, Advs.
For NDMC&DJB : Ms. Sakshi popli, Adv.
For Respondent No. 75 & 95: Mr. Guntur Prabhakar and Mr. Guntur Promod Kumar, Advs.
For M/o. Cool and DGMS : Mr. B.V. Niren, Adv.
For State of Karnataka : Mr. Devraj Ashok, Adv.
For JSPCB : Mr. Jayesh Gaurav, Adv.
For RSPCB : Mr. Shiv Mangal Sharma and Mr. ABHIRAJ SINGH, Advs.
For State of Telangana : Mr. Palwai Venkat Reddy and Mr. Prashant Tyagi, Advs.

For State of J&K : Mr. G.M. Kawoosa, Adv.
Respondent No. 130 :Mr. Ajit Pudussery, Adv.
SPCB orisha : Mr. A.K. Pandey, Mr. M. Paikaray, Advs.
For State of Rajasthan,
R-28, 48, 68, 90, 110 & 127 : Mr. Ajay Choudhary, Adv.
Respondent No. 24 & 85 : Mr. Preshit Surshe, Adv.
For State of Kerala & KSPCB: Mr. Jogy Scaria, Adv.
For Andaman & Nicobar Admn.: Mr. Sarthak Chaturavedi, Mr. Rohit Pandey and Mr. D.N. Tripathi, Advs.
For Tamil Nadu & TNPCB : Mr. R. Rakesh Sharma , Aadv.
Respondent No. 4, 12 & 128: Mr. Sandeep Mahapatra, Adv. and Mr. Kayesh Begg, Adv.
Respondent Nos. 13 : Mr. Om Prakash, Adv. and Dr. Kumar Jwala, Advs.
Respondent No. 106 : Mr. Ravin Dubey, Adv.
Respondent No. 47 & 67 : Mr. Shubham Bhalla, Adv.
For UPPCB : Mr. Daleep Kr. Dhyani and Mr. Suraj Singh, Advs.
For UT of Puducherry : Mr. Abhimanyu Garg, Ms. Gayatri Jamwal,
For HPPCB : Mr. D.K. Thakur, Adv.
Respondent No. 5 & 131 Mr. Bharat Sanghal, Adv. & Ms. Vidushi,
For State of Bihar& BSPCB : Mr. Rudreshwar Singh and Mr. Gautam Singh, Adv.
Dadar and Nagr Haveli Mr. Deepak Jain, Mr. alok, Mr. shantala
For State of Arunachal Pradesh & PCB : Mr. Anil Sharma, Mr. Sanyam Saxena and Mr. Pranav, Advs.
For State of Nagaland & Nagaland PCB : Mr. K. Enatsli Semi, Adv.
R-7,87,107,45,65,117,118,119 : Ms. Avnish, Ms. Lalita
HP State : Mr. Suryanarayan Singh
For DPCC : Mr. Biraja Mahopatra, dinesh Jindal Adv.
TSGENCO : D-Abhinav

Original Application No. 117/2014

Applicant : Mr. Vardhman Kasushik, Mr. Syed Meesam, Neerak Khapra Adv.
MoEF : Mr. Vikas Malhotra Advs.
Tamil Nadu & TNPCB : Mr. R. Rakesh Sharma , Aadv.
Sikkim : Mr. Aruna Mathur, Mr. Avneesh Arputham and Ms. Anuradha Arputham, Advs.
Respondent No. 5 : Mr. Shuvodeep, Adv. for PCB Assam
Respondent No. 52 : Mr. V.K. Shukla, Adv. for State of MP

For Andaman & Nicobar Admn.:	Mr. Sarthak Chaturavedi, Mr. Rohit Pandey and Mr. D.N. Tripathi, Advs.
For State of Meghalaya	: Mr. Upendra Mishra and Ms. Aprajita Mukherjee, Advs.
For DPCC	: Mr. Biraja Mahopatra, dinesh Jindal Adv.
For UT of Lakshdweep	: Dr. Abhishek Atrey
For State of Arunachal Pradesh & PCB	: Mr. Anil Sharma, Mr. Sanyam Saxena and Mr. Pranav, Advs.
For State of Mizoram	: Mr. Ravi Kantpal and Mr. Pragyan Sharma, Advs.
For State of Bihar & BSPCB:	Mr. Rudneshwar Singh and Mr. Gautam Singh, Advs.
Respondent No. 24 & 36	: Mr. Mukesh Verma, Adv.
For State of Haryana & HSPCB:	Mr. Anil Grover with Mr. Rahul Khurana
For State of Goa and GSPCB:	Mr. A. N.S. Nadkarmi and Mr. S.S. Rebella, Mr. D. Lawande, Mr. Anshuman, Ms Purna Advs.
For MPPCB	: Mr. Rajul Shrivastav with Ayushi Sharma, Adv.
For State of Gujrat & GPCB:	Mr. Dhruv Pal, Ms. Hemantika Wahi, Advs.
Respondent No. 28	: Mr. A.K.Panda, Sr. Adv., Mr. M. Paikaray
Respondent No. 65	: Ms. Savitri Pandcy, Adv.
For State of Manipur PCB	; Mr. Sapam Biswojit Meitei and Mr. Vijay Anand Sharma and Mrs. Kalyani, Advs.
For JSPCB	: Mr. Jayesh Gaurav, Adv.
For State of Karnataka	: Mr. Devraj Ashok, Adv.
For State of MP	: Mr. V.K. Shukhla, Adv.
HPPCB	:Mr. DK Thakur
For UT of Puducherry	: Mr. Abhimanyu Garg, Ms. Gayatri Jamwal, Advs.
For State of Jharkhand	: Ms. Priyanka Sinha and Ms. Anu Tyagi, Advs.
Meghalaya SPCB	: MR. Momo Singh
HP State	: Mr. Suryanarayan Singh
CPCB	:Mr. Abhishek with Niti
State of Odisha	: Mr. Swatanketu, Mr. Shiboshish
Dadar and Nagr Haveli	Mr. Deepak Jain, Mr. alok, Mr. shantala

	Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	Item No. 5 to 7 April 28, 2016	The Learned Counsel appearing in Original Application No. 102 of 2014 submits that as permitted by the Tribunal, the records were examined and it is find out that the State of Haryana, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Government of Maharashtra, Government of Rajasthan, Government of Goa, Government of NCT of Delhi, State of Odisha, State of Tamil Nadu, State of Jharkhand, State of Chhattisgarh, State of Bihar, State of Madhya Pradesh, State of West Bengal, State of

		Sikkim, State of Gujarat, State of Meghalaya, State of Punjab, Union Territory of Pudducherry, Union Territory of Chandigarh have filed the details as directed vide order dated 06-01-2016 but in some cases minutes of the meeting are not filed. It is pointed out that the State of Assam, State of Kerala, State of Nagaland have field the reports but it is pointed out that the minutes of the meeting as directed is yet to be submitted. The Learned Counsel appearing for the Union Territory of Lakshadweep and Union Territory of Andaman and Nicobar submit that they have already submitted the necessary details. It is made clear that the remaining States i.e. State of Uttar Pradesh, State of Uttarakhand, State of Andhra Pradesh, State of Arunachal Pradesh, State of Tripura, State of Mizoram, State of Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir and State of Telangana are yet to file the details as directed vide order dated 06-01-2016. On failure we will be constrained to direct the presence of the respective Secretaries on the next date of hearing. List this case on 27th May, 2016. .....,JM (M.S. Nambiar) .....,EM (B.S. Sajwan

813
28-4-16

मा0 एन0जी0टी0 ,में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–102/2014 सैण्ड प्लास्ट (इण्डिया) लि0 व अन्य बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार व अन्य में ए0टी0आर0 दायर किए जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.04.2016 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2016, 15.02.2016 एवं 17.03.2016 के अनुपालन के संबंध में चर्चा की गयी। बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:–

(1). मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 06.01.2016 के संदर्भ में संज्ञान में लाया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 03.11.2009 के अनुरूप राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के गठन की कार्यवाही की जा रही है। जिसके द्वारा राज्य में विभिन्न थर्मल पावर प्लाण्ट द्वारा जनित फ्लाई ऐश के प्रयोग का अनुश्रवण किया जाएगा।
(कार्यवाही:– पर्यावरण विभाग)

C-2/NGT 611
28.4.16

(2). ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश में स्थापित [illegible] विद्युत गृहों की लोकेशन तथा उससे 100 कि0मी0 की परिधि [illegible] पर अंकित करते हुए विद्युत गृहों से 2015–16 के दौरान जनित [illegible] अवशेष राख का विवरण दिया जाए एवं राख का उपयोग करने वाली संस्थाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाए। ऊर्जा विभाग को यह भी निर्देश दिए गए कि वह निर्माण संस्थाओं को निर्माण कार्य हेतु फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन के प्राविधान के अनुरूप राख ले जाने की अनुमति एवं सहयोग प्रदान करेंगे।
(कार्यवाही:– ऊर्जा विभाग)

(3). समस्त विभागों को निर्देश दिये गए कि वह विभागीय एवं अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा उपयोग की जा रही फ्लाई ऐश सामग्री तथा इस्तेमाल होने वाली फ्लाई ऐश का श्रोत का विवरण प्रस्तुत करें। तापीय विद्युत गृहों से 100 कि0मी0 की दूरी क्षेत्र में चल रहे प्रोजेक्ट तथा प्रस्तावित प्रोजेक्ट जिनमें फ्लाई ऐश का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया गया है, का विवरण भी प्रेषित करें।
(कार्यवाही:– लोक निर्माण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास, सिंचाई विभाग, ऊर्जा, ग्राम्य विकास)

(4). संबंधित विभागों को यह निर्देश दिएं गए कि वह अपने अन्तर्गत आने वाली निर्माण संस्थाओं यथा: लोक निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, समाज

कल्याण विभाग को निर्माण कार्यों में फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन के प्राविधानों के अनुसार फ्लाई ऐश के उपयोग सुनिश्चित किए जाने हेतु अपने स्तर से निर्देश जारी करें। इसकी प्रति पर्यावरण विभाग को भी प्रेषित करें।

(कार्यवाही:– लोक निर्माण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास, सिंचाई विभाग, ऊर्जा, ग्राम विकास)

(5). खनन विभाग को यह निर्देश दिए गए कि वह अपने अन्तर्गत आने वाली खनन परियोजनाओं को संचालित करने वाली इकाइयों को यह निर्देशित करें कि फ्लाई ऐश को ओवर बर्डन के साथ मिश्रित कर खाली खदानों में भरान हेतु प्रयोग करें तथा उपयोगिता फ्लाई ऐश का पूर्ण विवरण प्रेषित करें।

(कार्यवाही:– खनन विभाग)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग
संख्या–1545/55–पर्या–2016–45(रिट)–16
लखनऊ: दिनांक 26 अप्रैल, 2016

उपर्युक्त प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
2– निदेशक, पर्यावरण निदेशालय।
3– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4– निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।

(उमेश चन्द्र)
अनुसचिव।